न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

SC/ST Case No.- 119/2022

SC/ST P.S. Case No. 65/2022

23/02/2024

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक मसोमात सीता देवी के आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. जगदीश सहनी, 2. अमेरिका देवी, 3. हीरा देवी, 4. जयमाला देवी, 5. रेखा देवी, 6. अनिला कुमारी, 7. सुमन सहनी के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. जयमाला देवी, 2. सुमन सहनी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त जगदीश सहनी के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 37/2023 दिनांक 21/03/2023 समर्पित किया गया और अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। तत्पश्चात नामजद अभियुक्त 1. अमेरिका देवी, 2. हीरा देवी, 3. अनिला कुमारी, 4. रेखा देवी के विरूद्ध मूल आरोप पत्र की धाराओं के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0 51/23 दिनांक 19/05/2023 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, मूल एवं पूरक आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से मूल एवं पूरक आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही वास्ते पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण **1. जगदीश सहनी 2. अमेरिका देवी, 3. हीरा देवी, 4. अनिला कुमारी, 5. रेखा देवी के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के उपस्थिति वास्ते सम्मन निर्गत करें।

दिनांक 14/05/24 उपस्थिति वास्ते।

Nisant Kant Thakur 23/2/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल